


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
-------------	----------------------------------	---

21.6.18

लगा
कि
तारीख
हुक्म

पञ्चम (पे 2 इ) काडी न उही मिला
 पत्र (पे 2) काडी के कार 70/64 के
 एक हिसाब हुनु निवेदन वया वया
 काडी न सुपना 966 पे रथन उम 10
 काड प्रती कार 70 के (पे 2) अतिवर्तिमा
 के पति के (पे 2) के उम 70 इ
 काड प्रती लमुस्त हिनु परिवार की 21.5.18
 हुके प्रती इ वया मुनाके (पे 2) का
 उकी उके पाने हुनु निवेदन उम 70
 पञ्चम का सुपना उम काड
 कार 70 मुनाके (पे 2) का
 उम काड उके (पे 2) का
 के 21.5 मिला पत्र (पे 2) काडी के कार
 कार 70/64 की कुल 5.819 इम काडी
 प्रती के अतिवर्तिमा 10 का काड काड पत्र
 काड कार 103 लमुस्त लप के 2-036
 के काडी का.दि.व एड अतिवर्तिमा 10 एड
 परमेवरी उकी 2.787 के के काडी वया
 इ उकी अमुका (पे 2) इम काड उम पाने मड
 प्रती काड के 2 एड एके 2 एड काड के परमा
 काडी इम काड उम पाने काडी (पे 2) काडी ए
 एका इम काड पत्र इम काड -L वया + के इम काड मुनाके
 काडी पञ्चम काडी काडी काडी


 उपसंग्रहधिकारी (राजस्व)

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 129/18

अनवान :

1. चन्दोदेवी पुत्री स्व० लखपत जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
2. भरतोदेवी पुत्री स्व० लखपत जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
3. सुमनदेवी पुत्री स्व० लखपत जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. परमेश्वरी पत्नी स्व० लखपत जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकहार हक व रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकीलवादी श्री राजेश बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक डोभी बारानी के खाता सं० 70/64 के मु०न० 217 किला न० 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, मु०न० 218 किला न० 5, 6, 11 ता 20 की कुल 5.819 है० बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 परमेश्वरी देवी का नाम कलमजन कर वादी 1 ता 3 सुयुक्त रूप से 3.036 है० बारानी बहिब व प्रतिवादी संख्या 1 परमेश्वरी देवी 2.783 है० बारानी खातेदारी दर्ज रिकार्ड की जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21 जून 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़